

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 391 / 2009
संस्थान दिनांक 28.10.2009

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

हाकम पिता सत्तार, आयु 45 वर्ष,
निवासी-ग्राम भंडगाका, थाना नुहू,
जिला नुहू मेवात, (हरियाणा)

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 27.05.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 187/2009 अंतर्गत 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 28.10.2009 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 19.09.2009 को शाम लगभग 4:00 बजे, ए.बी. रोड रगाड़ी पुलिया के पास सेगवाल फाटे पर वाहन ट्रक क्रमांक एच.आर. 55 एफ. 6727 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 एम.सी. 1260 को सामने से टक्कर मारकर उस पर सवार डोंगरसिंह, धुमसिंह एवं सुखलाल की ऐसी मृत्यु कारित करने, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 304-ए (3 शीर्ष) भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 19.09.2009 को फरियादी काशीराम साईकिल से ठीकरी से घर वापस जा रहा था कि फरियादी का भाई डोंगरसिंह तथा उसका जवाई धुमसिंग तथा ग्राम बिल्वा डेब का सुखलाल मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर क्रमांक एम.पी. 10 एम.सी. 1260 से ठीकरी से पिपरखेड़ा फरियादी काशीराम से आगे जा रहे थे कि लगभग शाम 4:00 बजे जैसे ही रगाड़ी पुलिया के पास पहुँचे कि जुलवानिया की ओर से वाहन ट्रक क्रमांक एच.आर. 55 एफ. 6727 के चालक ने अपने ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और मोटरसाईकिल को सामने

से टक्कर मार दी थी जिससे मोटरसाईकिल सवार तीनों मोटरसाईकिल सहित गिर गये थे जिससे डोंगरसिंह, धुमसिंग एवं सुखलाल को चोटें आई व घटनास्थल पर ही तीनों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने फरियादी काशीराम द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त वाहन ट्रक क्रमांक एच. आर. 55 एफ. 6727 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 187/2009 अंतर्गत धारा 304-ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। पुलिस ने मृतक डोंगरसिंह, धुमसिंग एवं सुखलाल के शव के पंचनामा बनाने हेतु साक्षियों को प्रदर्शपी 2 का सफीना फार्म जारी कर प्रदर्शपी 3, 4 व 5 के नक्शा लाश पंचायतनामें बनाये थे। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 एम.सी. 1260 में हुए नुकसान का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 6 बनाया। अनुसंधान के दौरान फरियादी काशीराम की निशादैही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 10 बनाया, पुलिस ने घटनास्थल से वाहन ट्रक क्रमांक एच.आर. 55 एफ. 6727 को जप्त कर प्रदर्शपी 8 का जप्ती पंचनामा बनाया, अभियुक्त हाकम से वाहन ट्रक क्रमांक एच. आर. 55 एफ. 6727 के दस्तावेज तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 11 का जप्ती पंचनामा बनाया, अभियुक्त हाकम को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 12 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया व अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी काशीराम व साक्षीगण रघुनाथ, ज्वानसिंह, पदमसिंह व भीमसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया तथा द.प्र.सं. की धारा 315 के अंतर्गत स्वयं का परीक्षण बचाव साक्षी के रूप में कराया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.09.2009 को शाम लगभग 4:00 बजे, ए.बी. रोड़ रगाड़ी पुलिया के पास सेगवाल फाटे पर वाहन ट्रक क्रमांक एच.आर. 55 एफ. 6727 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 एम.सी. 1260 को सामने से टक्कर मारकर उस पर सवार डोंगरसिंह, धुमसिंह एवं सुखलाल की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी काशीराम (अ.सा.1), रघुनाथ (अ.सा.2), भीमसिंग (अ.सा.3), पदम (अ.सा.4), कालू (अ.सा.5), शुभनारायण मिश्रा (अ.सा.6) एवं डॉ. डी.एस. चौहान (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में स्वयं अभियुक्त के कथन कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी काशीराम अ.सा. 1 का कथन है कि 4 माह पूर्व की बात है, दोपहर 4 बजे वह ठीकरी से साईकिल से घर वापस जा रहा था, उसके आगे डोंगरसिंह, धुमसिंह एवं सुखलाल मोटरसाईकिल से जा रहे थे। रगाड़ी पुल के आगे डोंगरसिंह की मोटरसाईकिल को जुलवानिया की ओर से आ रहे ट्रक के चालक ने सामने से टक्कर मारी थी, जिससे तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। टक्कर मारने वाला ट्रक तेज गति से चल रहा था। ट्रक का क्रमांक वह भुल गया है, फिर उसने ठीकरी थाने पर दुर्घटना की रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 की दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मरने वाले तीनों व्यक्तियों को थाने की वाहन अस्तपाल ले गई थी, जहाँ उनके शव का परीक्षण हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल देखा था तथा पंचनामा बनाया था। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को खड़ीकर भाग गया था। उसने ट्रक चालक को देखा था, सामने आने पर पहचान सकता है। इस साक्षी ने उपस्थित अभियुक्त की पहचान घटना दिनांक को ट्रक चलाने वाले व्यक्ति के रूप में की थी। साक्षी ने लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 2, 3, 4 व 5 एवं प्रदर्शपी 6 का नुकसानी पंचनामा अपने सामने बनाना और उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय फोर लेन का काम चल रहा था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि जहाँ दुर्घटना हुई वहाँ पर फोर लेन का काम नहीं चल रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जहाँ से दुर्घटना हुई थी, वहाँ से उसकी साईकिल लगभग 200 फीट की दूरी पर थी। वह और तीनों मृतक ठीकरी से आ रहे थे तथा धुमसिंग मोटरसाईकिल चला रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि मृतक धुमसिंग तेजी से मोटरसाईकिल चलाकर उसके पास से निकला था। जब मृतक की मोटरसाईकिल उसके सामने से निकली तब सामने सड़क पर कोई ट्रक नहीं था। साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना के बाद दुर्घटनास्थल पर दो-चार ट्रक वाले ट्रक को किनारे खड़ा कर दुर्घटना देखने के लिए रुक गये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दुर्घटना होते ही 15-20 व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दुर्घटनास्थल पर तत्काल अन्य ट्रक वाले पहुँच गये थे। साक्षी ने स्फुट किया कि पहले वह पहुँचा था बाद में दूसरे लोग पहुँचे थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि ट्रक वाला अपनी साईड से जा रहा था, उसकी साईड में

गड़डे थे उनको बचाने में मृतक की मोटरसाईकिल को टक्कर लगी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि मृतक अपनी मोटरसाईकिल पर सिंचाई के लिए पाईप लेकर जा रहे थे जो काले रंग का होकर कड़क व मजबूत था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर 2-3 मिनट पश्चात् पहुँच गया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके घटनास्थल पर पहुँचने पर ट्रक वाला ट्रक को छोड़कर भाग गया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल पर पहुँचते ही ट्रक वाला उसका ट्रक उसकी साईकिल के पास खड़ाकर भागने लगा तब उसने ट्रक चालक को भागते हुए देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि ट्रक चालक ने अपना ट्रक जहाँ पर दुर्घटना हुई थी वहाँ पर खड़ा नहीं किया था, थोड़ी आगे लाकर खड़ा किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि ट्रक में दो चालक एवं क्लिनर रहते हैं और ट्रक वाले अपने वाहन में अन्य चालक और परिचित लोगों को भी बैठाकर ले जाते हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह घटनास्थल से 200 फीट की दूरी पर होने से चालक को नहीं देख पाया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल पर दिन था और दुर्घटना होने के बाद ट्रक उसके पास आकर रुका था तब चालक उतरकर भागा था और उसने चालक को देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके समाज में कुछ व्यक्ति मदिरा पीते हैं। मृतक धुमसिंह एवं डोंगरसिंह मदिरा नहीं पीते थे। सुखलाल मदिरा पीता था या नहीं उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि ट्रक में घटना के समय दो व्यक्ति थे, एक चालक एवं अन्य व्यक्ति जो दोनों उतर कर भाग गये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह नहीं बता सकता कि भागने वाले दोनों व्यक्तियों में से ट्रक कौन चला रहा था अथवा उसने दुर्घटना कारित करने वाले चालक को नहीं देखा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त ने उसका ट्रक दुर्घटना के बाद दुर्घटना देखने के लिए साईड में खड़ा किया था, इस कारण अभियुक्त का नाम बता रहा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट तथा प्रदर्शडी 1 में यह बता दिया था कि वह अभियुक्त को सामने आने पर पहचान लेगा, यदि उक्त बात उसमें नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय धुमसिंह मदिरा पिया हुआ था और नशे में होने के कारण स्वयं मोटरसाईकिल लेकर ट्रक में घुस गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल पर मृतक अपने साथ पाईप लेकर आ रहे थे, वह आड़ा रखा हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया कि पाईप तीनों मृतक के सीधे कंधे पर रखा हुआ था और दो व्यक्तियों ने पकड़ा हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उस समय पाईप हवा से लहराया था और पाईप के लहराने से बैलेंस बिगड़ जाने से वे मोटरसाईकिल से गिर गये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को फंसाने के लिए असत्य कथन कर रहा है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह घटना के बाद थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया था तब आंधे घंटे बाद अभियुक्त भी थाने पर आया था, तब उसने बताया कि यही चालक था। पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने जिस चालक की पहचान की थी, वह चालक अभियुक्त नहीं है।

9. रघुनाथ अ.सा. 2, भीमसिंह अ.सा.4, पदम अ.सा. 4, कालु अ.सा. 5 ने भी तीनों मृतकों को ट्रक में हुई दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि तीनों व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई थी और पुलिस ने पंचनामा बनाया था। साक्षियों ने प्रदर्शपी 2 लगायत 4 पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में रघुनाथ असा 2 ने स्वीकार किया कि थाने पर रिपोर्ट उन्होंने की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल पर डोंगरसिंह पाईल लेकर बैठा था और मोटरसाईकिल उसकी बैलगाड़ी के पास से निकल गई थी। भीमसिंह असा 3 ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि काशीराम ने उसे बताया था कि उसका भाई डोंगरसिंह, जवाई धुमसिंग एवं सुखलाल धुमसिंग की मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 एम.सी. 1260 से ठीकरी से ग्राम पिपरखेड़ा जा रहे थे, तब जुलविनिया की ओर से ट्रक क्रमांक एच.आर. 55 एफ. 6727 ने उनको टक्कर मार दी थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे जुवानसिंग ने जो बताया था वह उसने पुलिस को बताया था, लेनिक साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जुवानसिंग ने उसे बताया था कि तीनों मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल सहित ट्रक में घुस गये थे। पदम अ.सा.4 ने यह स्वीकार किया कि सुखलाल मदिरा पीता था, लेकिन घटना दिनांक को मदिरा नहीं पिया हुआ था।

10. शुभनारायण मिश्रा अ.सा. 6 का कथन है कि दिनांक 19.09.2009 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 187/2009 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 10 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मृतक डोंगरसिंह, धुमसिंह एवं सुखलाल की लाश का पंचनामा बनाने हेतु प्रदर्शपी 2 का सफीना फार्म जारी किया था तथा शव का नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 3 लगायत 5 बनाये थे जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि वाहन ट्रक क्रमांक एच.आर. 55 एफ. 1260 घटनास्थल से प्रदर्शपी 8 अनुसार जप्त किया था व मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 एम.सी. 1260 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 6 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्त से उसकी चालन अनुज्ञप्ति एवं उक्त ट्रक के दस्तावेज प्रदर्शपी 11 अनुसार जप्त किये थे। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट बबनराव चौधरी द्वारा लिखना और उसके बी से बी भाग पर बबनराव चौधरी के हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि बबनराव ने उसके सामने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट नहीं लिखी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि काशीराम के कथन उसने घटना वाले दिन ही ले लिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि काशीराम ने उसके पुलिस कथन प्रदर्शपी 1 में विशेष रूप से उसने ऐसा नहीं बताया कि उसने अभियुक्त को देखा था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने यह बताया था कि मृतक उसकी

साईकिल के आगे जा रहे थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने काशीराम से चालक की पहचान नहीं कराई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने वाहन चालक की तस्दीक के संबंध में वाहन मालिक के कोई कथन नहीं लिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक 19.09.2009 से दिनांक 04.10.2009 के मध्य तक अभियुक्त थाने पर नहीं आया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि कि उसने असत्य विवेचना की है या वह असत्य कथन कर रहा है।

11. डॉ. डी. एस. चौहान अ.सा. 7 का कथन है कि दिनांक 19.09.2009 का उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में नगर सैनिक संजय द्वारा लाने पर मृतक डोंगरसिंह पिता भावसिंह, आयु 50 वर्ष का, धुमसिंग पिता सुरपालसिंह, आयु 30 वर्ष तथा सुखलाल पिता मूदन, आयु 24 वर्ष के शव का परीक्षण किया था और परीक्षण में यह पाया था कि उनकी मृत्यु सदमें से और मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने से परीक्षण के 12 घंटे के भीतर की थी। साक्षी ने उनका शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शनी 13 लगायत 15 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि तीनों मृतक व्यक्तियों के शरीर में अधपचा भोजन एवं द्रव्य पदार्थ था, जिसकी खूबू मदिरा जैसी थी।

12. अभियुक्त ने उसका परीक्षण बचाव साक्षी के रूप में कराया है। अभियुक्त का यह कथन है कि वह प्रकटसिंह को जानता है। 5-6 वर्ष पूर्व वह उनके यहाँ चालक का कार्य करता था। प्रकटसिंह ने उसे फकरुद्दीन के साथ थाना ठीकरी पर ट्रक छुड़वाने के लिए भेजा था। वह तथा फकरुद्दीन मुख्तारनामा लेकर आये थे। वह प्रकटसिंह के ट्रक को दिल्ली से हरियणा चलाता था उसने म.प्र. में कभी कोई वाहन नहीं चलाया था। अभियोजन की ओर से पूछे जाने पर अभियुक्त ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रकटसिंह के पास एक ही वाहन था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह प्रकटसिंह का ट्रक लेकर मुम्बई से इन्दौर व इन्दौर से मुम्बई चलाता था। घटना दिनांक 19.09.2009 को उसने ए.बी. रोड़ सेगवाल फाटे पर ट्रक क्रमांक एच.आर. 55 एफ. 6727 लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त दुर्घटना उसके द्वारा की गई थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

13. काशीराम असा 1 ने दुर्घटना होते समय अभियुक्त को देखना बताया है, लेकिन साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्शनी 1 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शनी 1 में यह उल्लेख नहीं है कि उक्त साक्षी ने घटनास्थल पर अभियुक्त को देखा था अथवा वह ट्रक चालक को देखकर पहचान सकता है। साक्षी ने स्वयं को घटनास्थल से लगभग 200 फीट की दूरी पर होना बताया है और साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शनी 1 लिखे जाने के दौरान अभियुक्त को थाने

पर उपस्थित होना भी बताया है, लेकिन विवेचना अधिकारी शुभनारायण मिश्रा असा 6 ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि घटना दिनांक से लेकर दिनांक 04.10.2009 के मध्य अभियुक्त थाने पर नहीं आया था, तो ऐसी स्थिति में काशीराम असा 1 का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के चालक के रूप में अभियुक्त को देखा था और अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते समय थाने पर देखकर उसकी पहचान भी की थी। शुभनारायण मिश्रा असा 6 ने यह भी स्वीकार किया कि उसने काशीराम से ट्रक चालक की पहचान नहीं करवाई थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही घटना दिनांक, स्थान व समय पर वाहन ट्रक क्रमांक एच.आर. 55 एफ. 6727 को लोक मार्क पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 10 एम.सी. 1260 को टक्कर मारकर मृतक डोंगरसिंह, धुमसिंह व सुखलाल की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त हाकम के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त हाकम को संदेह का लाभ देते हुए धारा 304-ए (3 शीर्ष) भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एच.आर. 55 एफ. 6727 दिनांक 06.10.2009 को उसके पंजीकृत स्वामी प्रकटसिंह तर्फे आममुख्यार फकरुद्दीन पिता जगदेवसिंह, निवासी-निमखेड़ा को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी